1

[illegible] पत्रावली पेश हुई। न्यायालय दिनांक 22.07.19
को न्यायालय अपने डायरी दिवस मा.पी.
सिमरणा में आवश्यक सूचना के बाद
एवं प्रतिवादीगण में से कोई भी उपस्थित
नहीं हुआ। उभयपक्ष कारण को आवाज
दिलवायी गयी बार-बार आवाज
लगवाये जाने पर भी कोई भी
पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए जो
उभयपक्षकारान द्वारा क्रम को न्यायालय
में उपस्थित नहीं होने के कारण
पत्रावली काल्पनिक, अक्रम परित्यक्त
की जाती है। पत्रावली
विशेष कुमार मानी जाकर बाद तरमीम
दाखिल दफ्तर किया होकर दाखिल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा जिला टोंक